न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 87/2017

जीसीएमएस नम्बर : 2017/00376

प्रार्थी:–

1. गेनी पुत्री डूंगाराम जाति सिरवी निवासी बिजोवा तहसील रानी
2. हंजा पुत्री डूंगाराम के कायम मूकाम
   2/1 इन्द्राराम पुत्र हंजा
   2/2 छोगाराम पुत्र हंजा
   2/3 दरगाराम पुत्र हंजा
   2/4 ओटी पुत्री हंजा
   जातिगण सिरवी निवासीगण गुडालास तहसील बाली
3. सुखी पुत्री डूंगाराम जाति सिरवी निवासी बिजोवा तहसील रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत बिजोवा तहसील रानी जिला पाली
2. जीवाराम पुत्र चैनाजी जाति चौधरी निवासी बिजोवा तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्षमण के. चौधरी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 3.6.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत बिजोवा द्वारा मिसल संख्या 08/2016–17 प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.06.2017 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 जीवाराम पुत्र चैनाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 42 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम बिजोवा की आबादी बस्ती में प्रार्थीगण के पिता डूंगाराम पुत्र जेठाजी चौधरी का रहवासीय मकान का पट्टा ठिकाणा जोधपुर महाराजा श्री दिलीपसिंह द्वारा 12.05.1954 को पट्टा संख्या 5 दिया गया था ऐसी सूरत में पट्टे की भूमि पर ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो विधि विरूद्ध है। जैर निगरानी पट्टे का बिजली कनेक्शन आज भी प्रार्थीगण के पिता के नाम से है। नक्शा बनाने वाले व्यक्ति के नक्शे पर हस्ताक्षर नहीं है और न ही अप्रार्थी के कोई हस्ताक्षर किये हुये है। बयान फार्म टाईपसुदा है तथा साक्ष्य प्रस्ताव भी प्रतिकुल है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.06.2017 में केवल मात्र सरपंच के ही हस्ताक्षर है, साथ ही प्रस्ताव संख्या 12 में कई मिसलों का उल्लेख किया हुआ है एवं न ही जैर निगरानी आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को सुना नहीं गया। इसलिये जैर निगरानी पट्टा को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी को अप्रार्थी संख्या 2 तथा नरिंगराम पुत्र चेनाजी ने प्रार्थीगण के भाई जीवाराम पुत्र डूंगाजी से जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 02.04.1985 के द्वारा खरीद किया था। उक्त खरीदशुदा भाग पर आज दिन तक मौके पर अप्रार्थी का कब्जा व उपयोग उपभोग कायम है। प्रार्थीगण के पिता को ठिकाणा जोधपुर द्वारा दिनांक 12.05.1954 को पट्टा नम्बर 05 जारी किया गया हो ऐसे पट्टो का पंचायती राज प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत बिजोवा में कोई दर्ज इन्द्राज नहीं है। साथ ही यह पट्टा नहीं होकर केवल मात्र दिनांक 12.02.1957 की एक बेचाण लिखत है। जैर निगरानी आराजी का बिजली कनेक्शन अप्रार्थी का है तथा उसका भुगतान भी अप्रार्थी द्वारा ही किया जा रहा है। पट्टासुदा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के स्वामित्व एवं खरीदसुदा होने से ग्राम पंचायत बिजोवा द्वारा पंचायत राज नियमों के तहत जैर निगरानी पट्टा विधिपूर्ण कार्यवाही कर जारी किया है जो सही होने से जैर निगरानी को खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत बिजोवा द्वारा मिसल संख्या 08/2016–17 प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.06.2017 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 जीवाराम पुत्र चैनाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 42 के विरूद्ध पेश की है। अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष पुश्तैनी कब्जा सुदा मकान का पट्टा बनाने आवेदन दिनांक 24.05.2016 को किया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गयी। मिसल के संलग्न आज्ञा सूची एक निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है जिसमें केवल आवदेक का नाम व वल्दियत की जानकारी पेन से अंकित है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में आज्ञासूची क्रं. सं. 1 की कार्यवाही दिनांक 24.05.2017 को हुयी तथा क्रं.सं. 2 की कार्यवाही दिनांक 06.04. 2017 को हुयी। तत्पश्चात क्रं.सं. 3 की कार्यवाही दिनांक 20.04.2017 की जाकर आज्ञासूची क्रं.सं. 4 दिनांक 05.06.2017 के द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। जब आज्ञासूची की प्रथम कार्यवाही दिनांक 24.05.2017 को हुयी हो तो उसके पश्चातवर्ती कार्यवाही उससे पहले ही दिनांक 06.04.2017 एवं दिनांक 20.04.2017 को होना कैसे सम्भव है ? जिससे स्पष्ट है कि आज्ञासूची की कार्यवाही दिनांक जैर निगरानी पट्टे की वैद्यता पर प्रश्नचिन्ह अंकित करते है। ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में आज्ञा दिनांक 24.05.2017 का अंकन ही नहीं है जबकि इसके पूर्व की बैठक दिनांक 22.05.2017 तथा पश्चातवर्ती बैठक दिनांक 05.06.2017 का अंकन है एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर के पृष्ठ अनवरत है। जिससे ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत ने अवैधानिक तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जिसे बदस्तूर रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

आज्ञासूची दिनांक 24.05.2017 की पालना में तैयार जैर आराजी के नक्शे पर न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है और न ही अप्रार्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के अनुसार नोटिस का जारी और प्रकाशित किया जाना – (1) यदि पंचायत अन्तिम रूप से यह विनिश्चय करे कि विक्रय किया जाये, तो वह उप–नियम (2) में अधिकथित रीति से प्ररूप–22 में एक नोटिस, प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर–भीतर आक्षेप आमन्त्रित करते हुए प्रकाशित करेगी। (परन्तु 24.02.2005 से 23.03.2005 की अवधि के दौरान आक्षेप आमन्त्रित करने की अवधि एक मास के स्थान पर सात दिवस की होगी)। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा आज्ञासूची दिनांक 20.04.2017 में प्रारूप 22 में सात माह का आपत्ति इश्तिहार जारी होना अंकित है वही प्रारूप 22 में जारी नोटिस में सात दिन के भीतर आक्षेप आमन्त्रित हेतु जारी किया गया। साथ ही उक्त नोटिस पर केवल गवाहो के अगुष्ठ निशान व उनके नाम अंकित है उनकी उनकी वल्दियत की जानकारी का अंकन नहीं है।

जैर निगरानी में मिसल के संलग्न बयान फार्म एक निर्धारित प्रपत्र में कम्प्यूटर टाईप है जिसमें एक बयान रमेश कुमार पुत्र केनाराम जाति चौधरी निवासी बिजोवा उम्र 40 वर्ष द्वारा दिया गया है। जिसके अनुसार उक्त मकान पर जीवाराम का पिछले करीब 40 वर्षो पुराना कब्जा है। जब बयान देने वाले की उम्र ही 40 वर्ष की है तो वह यह कैसे बता सकता है कि जैर आराजी पर अप्रार्थी का 40 वर्ष पुराना कब्जा व अधिकार है। साथ ही एक अन्य बयान अशोक कुमार का है जिसमें बयानकर्ता की उम्र का उल्लेख ही नहीं है और उनके द्वारा अप्रार्थी का 40 वर्ष पुराना कब्जा बताया गया है। एक अन्य उल्लेखनीय बात यह भी है कि दोनो बयान में केवल बयानकर्ता की जानकारी व उनके हस्ताक्षर को छोडकर शेष तथ्य एकसमान वर्णित है एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व उनके द्वारा प्रस्तुत शपथपूर्वक बयान पर अलग अलग हस्ताक्षर अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पंचायतीराज नियमों को दरकिनार करते हुये की गयी है।

जैर आराजी का विक्रय विलेख दिनांक 02.04.1985 जो प्रार्थीगण के भाई तथा अप्रार्थी संख्या 2 व नरिंगराम पुत्र चेनाजी के मध्य निष्पादित हुआ था, में अंकितानुसार " विक्रय सुदा मकान का पट्टा मेरे पिता डुगांजी पुत्र जेठाजी चौधरी के नाम का ठिकाना जोधपुर महाराजा श्री दिलीपसिंहजी का दिनांक 12.05.57 का प्लॉट नंम्बर 5 बना हुआ है" अर्थात् जैर निगरानी आराजी ठिकाने की भूमि थी वह ग्राम पंचायत की नजूल भूमि नहीं थी फिर भी ग्राम पंचायत ने ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियम 140 की पालना नहीं करते हुये पूर्व में जारी ठिकाने की पट्टा सूदा भूमि पर पुनः पट्टा जारी कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखाजाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष पुश्तैनी कब्जा सुदा मकान का पट्टा बनाने आवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गयी। मिसल की सम्पूर्ण आज्ञासूची निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है। आज्ञासूची की पहली कार्यवाही दिनांक 24.05.2017 को हुयी हो तो उसके पश्चातवर्ती कार्यवाही उससे पहले ही दिनांक 06.04.2017 एवं दिनांक 20.04.2017 को कैसे सम्भव है। साथ ही ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में आज्ञा दिनांक 24.05.2017 का अंकन

अति. जिला कलेक्टर पाली

ही नहीं है जबकि बैठक कार्यवाही रजिस्टर के पृष्ठ अनवरत है। जैर आराजी के नक्शे पर न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है और न ही अप्रार्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप–22 को नोटिस जारी करते समय राज. पंचायतीराज नियम 148 की पालना नहीं की गयी है तथा आक्षेप की अवधि का अंकन आज्ञासूची व नोटिस में अलग–अलग किया हुआ है। बयान फार्म एक निर्धारित प्रपत्र में कम्प्यूटर टाईप है जिसमें बयानकर्ता द्वारा दिये गये विधिक दृष्टि से सही साबित नहीं होते है साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व उनके द्वारा प्रस्तुत शपथपूर्वक बयान पर अलग अलग हस्ताक्षर अंकित है। विक्रय विलेख दिनांक 02.04.1985 के अनुसार जोधपुर ठिकाना द्वारा प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में जैर आराजी का पट्टा दिनांक 12.05.57 का प्लॉट नंम्बर 5 बना हुआ था अर्थात जैर आराजी ठिकाने की भूमि थी जिसका ग्राम पंचायत द्वारा पुनः पट्टा जारी कर दिया गया जो विधिक दृष्टि से सही नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा विधिसम्मत नहीं होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा जैर निगरानी ग्राम पंचायत बिजोवा द्वारा मिसल संख्या 08/2016–17 प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.06.2017 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 जीवाराम पुत्र चैनाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 42 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 3/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)